**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 4756**
**दिनांक 21 अगस्त, 2025**

**केरल में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र**

**†4756. श्री हैबी ईडनः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा स्वीकृत संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास केरल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्वीकृत संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की कोई जिलावार सूची है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के कोचीन में बीपीसीएल का संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र वर्तमान में 75 टन प्रतिदिन की क्षमता पर प्रचालित हो रहा है और यदि हाँ, तो इसकी क्षमता कब तक बढ़ाकर 150 टन कर दी जाएगी; और

(घ) क्या केरल सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता से संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जाने वाली है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) से (घ) गोबरधन पोर्टल के अनुसार, केरल में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) कोच्चि में एक संपीड़ित जैवगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसे प्रतिदिन 150 टन के सेग्रीगेटेड म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) की क्षमता पर प्रचालित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है ताकि सीबीजी और जैव-खाद का उत्पादन किया जा सके। यह संयंत्र प्री-कमीशनिंग अवस्था में है। इसके अतिरिक्त, बीपीसीएल ने कोझीकोड में एक और एमएसडब्ल्यू आधारित सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

केरल सरकार अथवा स्थानीय निकायों से सीबीजी संयंत्र स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****